न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/23

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र सम्पत जाति अहीर निवासी मातूकी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. सुकन पुत्री भूरा जाति बलाई निवासी मातूकी हाल आबाद पीपलखेडा तहसील गोविन्दगढ अलवर
2. उषा बाई पत्नी भीकम सिंह उर्फ पप्पू जाति ठाकुर निवासी मातूकी तहसील पहाडी
3. अमर सिंह पुत्र श्याम सिह
4. जीतेन्द्र सिंह पुत्र भीकम सिंह उर्फ पप्पू
5. प्रेम
6. लालसिंह
7. शेर सिंह पिसरान श्याम सिह
8. संजय पुत्र भीकम
9. सपना पुत्री भीकम
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह
11. सोनम पुत्री भीकम उर्फ पप्पू जाति ठाकुर निवासी मातूकी तहसील पहाडी

असल प्रतिवादीगण

12. चेतराम
13. फूलचन्द
14. श्रीचन्द
15. प्रेमचन्द
16. मुखराम पिसरान उदयसिंह
17. किरोडीलाल पुत्र नन्दलाल
18. नत्थी सिंह पुत्र धन्ना
19. ओमप्रकाश
20. परमानन्द पिसरान सम्पत सिंह
21. परशुराम पुत्र बेगराम समस्त जातियान अहीर (यादव) निवासी ग्राम मातूकी तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
23. उपपंजीयक महोदय, पहाडी
24. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा कैथवाडा
25. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पहाडी

फौरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रमोद शर्मा वकील वादी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 105/1/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 106 रकबा 9 बिस्वा, 107 रकबा 0.58 हैक्टर, 107/2 रकबा 1.05 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 146/0.48, 147/0.07, 148/0.58, 149/1.05 हैक्टर बांके ग्राम मातूकी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया में तरतीवी प्रतिवादीगण 12 लगायत 16 के पिता उदय सिंह व वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 19,20 के पिता सम्पत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उनके स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। पक्षकार मुकदमा में प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 21 वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके । इसलिये उन्हे मुकदमें में तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया गया है। जिनके हित व हक वादी के समान है। साविक खसरा नम्बर 105 हाल खसरा नम्बर 146/0.48 के सम्पूर्ण हिस्से पर साविक खसरा नम्बर 107 हाल खसरा नम्बर 148 के 7 बिस्वा अर्थात 6 एयर पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता एवं दादा नन्दलाल, धन्ना पुत्र कन्हैया काफी अरसे से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। सबूत के तौर पर खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 लगायत 2020 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उनके मरने के बाद वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं मौके पर कब्जा व काश्त है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है आराजी खसरा नम्बर 105/1/1 पूर्व में दो बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर साविक 107 पूर्व में 10 बीघा 2 बिस्वा के थे जिसमें वक्त विभाजन में साविक खसरा नम्बर 105/1/1 का सम्पूर्ण रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मुझ वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के दादा व पिता नन्दलाल, धन्नालाल पिसरान कन्हैया व खसरा नम्बर साविक 107 का रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा में से 3 बीघा 5 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 11 के दादा व पिता श्याम सिह व 6 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी सुकन की माता गुलाबकौर व 7 बिस्वा मुझ वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के दादा नन्दलाल , धन्नालाल के हिस्से में आ गया था। प्रतिवादी संख्या 1 की माता गुलाब कौर ने विभाजन में प्राप्त खसरा नम्बर 107 मिन के रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा को दिनांक 24/05/1966 को छोटे लाल पुत्र सांवलिया व नत्थी पुत्र नूसा जाति बलाई निवासी मातूकी को बेचान कर दिया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में क्रेतागण के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर साविक 105/1/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 107 साविक के रकबा 7 बिस्वा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है फिर भी आराजी मुतदाविया राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारियों से साज कर प्रतिवादी के नाम का गलत इन्द्राज दर्ज होता चला आ रहा है। जो कि खिलाफ कानून मौका व कब्जा है। जिसे कलमजन कराकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर साविक 105/1/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा व साविक खसरा नम्बर 107 के 7 बिस्वा की आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के कानूनन अधिकारी है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी से

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का लेना देना नहीं है फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम खिलाफ कानून व मौका कब्जा दर्ज होता चला आ रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी एवं तरतीयी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करते रहते है एवं उनके हिस्से की आराजी से महरूम करना चाहते है तथा आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल करना चाहते है। जिसकी ऐलानिया धमकी प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट शब्दों में दिनांक 18/12/2022 को बांके ग्राम मातूकी तहसील पहाडी में दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी व तरतीयी प्रतिवादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विधि वजह वादी खिलाफ असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है तथा उपपंजीयक की हैसियत से बयनामा तस्दीक करते है। आराजी मुतदाविया बैंक में रहन रखी हुई है इसलिये प्रबन्धक महोदय, पी0एन0बी0 कैथवाडा तथा प्रबन्धक महोदय, बडौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक पहाडी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिनके खिलाफ कोई दादरसी नहीं चाही गई है। विनाय मुखास्मत दिनांक 20/12/2022 को वादी को रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का इल्म होने पर एवं नकल जमाबन्दी लेने पर एवं दोयम दिनांक 18/12/2022 को ऐलानिया धमकी देने से वादी उत्पत्ति हुई। दावा अन्दर म्याद है तथा न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने व फैसल करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हासिल है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 , अखबार स्याहा कराई गई। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 लक्ष्मण प्रसाद , पी0डब्लू0 2 मूलचन्द, पी0डब्लू0 3 चरण सिंह, के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। वकील वादी द्वारा अन्य साक्ष्य वादी पेश ना करने के कारण साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 सुकन की माता गुलाब कौर ने विभाजन में प्राप्त खसरा नम्बर 107 मिन के रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का छोटेलाल पुत्र सांवलिया व नत्थी पुत्र मूसा जाति बलाई निवासी मातूकी तहसील पहाडी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24/05/1966 को बेचान कर दिया था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में क्रेतागण के नाम नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

भी दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 146/0.48 व खसरा नम्बर 148/0.58 के रकबा 0.06 हैक्टर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 146/0.48 के पूर्ण हिस्सा व खसरा नम्बर 148/0.58 के रकबा 0.06 हैक्टर बांके ग्राम मातूकी तहसील पहाडी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 21 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner